न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :–32/2022/टोंक

राजस्थान राज्य मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बिजौलिया, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

–अपीलांट

बनाम

मदनलाल पिता उदा जाति धाकड़, उम्र व्यस्क, पेशा खेती, निवासी लक्ष्मीखेड़ा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा(राज0)

–रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियां दिनांक 24.11.2021 प्रकरण संख्या 69/2020 में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–

1. अपीलांट और राजकीय अभि0– श्री आकाश पारीक
2. रेस्पोडेंट अभि0– श्री शोकिन्द गुर्जर

निर्णय **दिनांकः–30.12.2022**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि मदनलाल पिता उदा जाति धाकड़ को ग्राम मण्डोल तहसील बिजौलियां में खसरा नम्बर 519/2 रकबा 2 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई थी। उक्त भूमि रेस्पोडेंट के नाम गैर खातेदारी हक में दर्ज रिकोर्ड है। रेस्पोडेंट द्वारा उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 131 एलआरएक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन के बाद उसे जिस दो बीघा जमीन पर बिठाया था, उसी जमीन पर वह तीस वर्षों से काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा नक्शे में तरमीम अन्य जगह 519/2 अंकित कर दिया गया। उक्त स्थान पर प्रार्थी रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं है। वह अन्य स्थान पर बैठा हुआ है। वह जिस स्थान पर बैठा हुआ है वह भूमि खसरा नम्बर 2/3 का हिस्सा है। इस वजह से प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि की, सही तरमीम की जाये तथा प्रार्थी के नाम पर दर्ज भूमि 519/2 का कब्जे वाले स्थान पर अंकित किया जायें। वर्तमान नक्शे में जिस स्थान पर खसरा संख्या 519/2 को दर्शाया हुआ है उसे हटाया जायें। इस पर कार्यवाही करते हुए उपखण्ड अधिकारी द्वारा तत्कालीन तहसीलदार बिजौलियां द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार जवाब उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिनांक 24.11.2021 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 519/2 की वर्तमान तरमीम राजस्व नक्शे से हटाते हुए रेस्पोडेंट के कब्जे वाली भूमि खसरा नम्बर 2/3 रकबा 257 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा भूमि राजस्व रिकोर्ड तरमीम करने का आदेश प्रदान किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर तहसीलदार बिजौलियां द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्ध वर्तमान अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है–

1. अपीलाधीन प्रकरण नक्शे में परिवर्तन का मामला नहीं था।
2. रेस्पोडेंट ने अपीलाधीन प्रकरण में यह सिद्ध नही करवाया था कि उसे खसरा नम्बर 2/3 में आवंटन हुआ हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

3. केवल कब्जे मात्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है।
4. खसरा नम्बर 2/3 का कुल रकबा 257 बीघा 7 बिस्वा है उसमें से 2 बीघा भूमि नक्शे में तरमीम बाबत दुरूस्त करने बाबत जो आदेश किया गया है वह तरमीम योग्य नहीं है चूंकि आदेश अस्पष्ट है। अपील स्वीकार की जायें। अपीलाधीन निर्णय 24.11.2021 खारिज की जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा कोरोना माहामारी के कारण, प्रशासनिक कार्यो की व्यवस्था के कारण आदेश की जानकारी नहीं होने से अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जानकारी प्राप्त होते ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। देरी को क्षमा किया जायें। अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्राप्त होने पर अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब की जाकर रिकोर्ड प्राप्त किया गया।

रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा लिखित बहस एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रस्तुत किया गया। जिसे संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस में राजकीय अभिभाषक द्वारा बताया गया कि अपीलांट को खसरा नम्बर 519/2 रकबा 2 बीघा भूमि ग्राम मण्डोल में आवंटित की गई थी। आवंटन आदेश के मुताबिक आवंटी को 519/2 पर ही तत्समय कब्जा दिया गया था। रेस्पोडेंट द्वारा खसरा नम्बर 2/3 में अपने पक्ष में तरमीम करवायी गई है। जो नियमों के विरूद्ध है। इनको नियमित वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। रेस्पोडेंट वकील ने बहस में बताया कि हम तरमीम की सुधार हेतु आये थे खातेदारी अधिकारी हेतु नही। धारा 91 एलआरएक्ट की कोई कार्यवाही हमारे विरूद्ध नहीं की गई। सहमति के बाद अपील क्यों प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है।

रिब्युटल में राजकीय अभिभाषक ने कहा कि उनके द्वारा आवंटन बाबत उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। तीस वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई। नक्शे के अनुसार लोग बैठे है या नहीं।

बहस बिन्दुओं पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 10.03.2022 को प्रस्तुत की गई है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस में यह बताया है कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। उनके द्वारा आरबीजे 2010 पेज 289 हाईकोर्ट, आरआरटी 2007(2) पेज 788 हाईकोर्ट, आरआरटी 2007(1) पेज 559, आरआरटी 2017(1) पेज 33 प्रस्तुत किये। मगर स्योमोटो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में दिये गये निर्देश के अनुसार कोरोनाकाल की वजह से मियाद अवधि की गणना 28 फरवरी 2022 के बाद की जानी है। वर्तमान अपील दिनांक 10.03.2022 को प्रस्तुत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यदि देखा जाये तो उक्त अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की हुई मानी जायेगी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आगे प्रभावी नही माने जायेगे। अतः अपील अंदर मियाद मानी जाती है।

रेस्पोडेंट को खसरा नम्बर 519/2 में 2 बी[illegible] दिनांक 04.07.1989 को आवंटित की गई थी तथा उसे कब्जा सुपुर्द किया गया था। [illegible] मा में आवंटित आराजी की पूर्व में पड़त सरकार पश्चिम में पड़त सरकार, उत्तर [illegible] की जमीन तथा दक्षिण में पड़त सरकार भूमि बतायी गई है। आवंटन के समय [illegible] नक्शाट्रेस बनाया गया था जिसमें मदनलाल को आवंटित भूमि के उत्तर की ओर 266/2 खसरा नम्बर अंकित है। खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 2/3 का रकबा 257 बीघा 7 बिस्वा है। गैर मुमकीन मगरी भूमि का वर्गीकरण है तथा चारागाह हेतु उक्त खसरा नम्बर को दर्ज किया हुआ जमाबंदी 2074–77 में जाहिर होता है। रेस्पोडेंट को जो आवंटित भूमि है वह लक्ष्मीखेड़ा गांव में जाने वाली सड़क के एकतरफ है। जबकि अपीलाधीन निर्णय में उसे खसरा नम्बर 2/3 में जिस जगह तरमीम की आज्ञा दी गई है। वह इस सड़क के दूसरी ओर विपरीत दिशा में तहसीलदार के अनुसार प्रस्तावित खसरा नम्बर 2/3 में रेस्पोडेंट के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही धारा 91 के विरूद्ध नहीं किया जाना जाहिर होता है। उस जगह रेस्पोडेंट कभी बैठा ही नहीं है। मात्र कब्जे के आधार पर किसी अन्य खसरा नम्बर में किस आधार पर तरमीम की गई है। यह आश्चर्य का विषय है। रेस्पोडेंट द्वारा धारा 131 एलआरएक्ट के तहत निर्णय प्राप्त किया गया है। धारा 131 एलआरएक्ट के अनुसार–

After the survey and record operation are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records officer in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

धारा 131 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें प्रचलित नक्शा को बनाये रखा जायेगा तथा इसमें यदि कोई परिवर्तन तथा अशुद्धि हुई हो तो सुधार सकेगा। उक्त कार्य करने की शक्ति लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर को दी हुई है। एस0डी0ओ0 लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर है। उपखण्ड अधिकारी नक्शा मैप में सुधार कर सकता है। मगर उस मैप को किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित नहीं कर सकता है। वर्तमान प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यही किया गया है कि पूर्व तरमीम को हटाकर कब्जे वाली जगह पर तरमीम करने का आदेश दिया गया है। जो बिल्कुल गलत है। अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार के जवाब का अवलोकन किया गया। उनके द्वारा कोई सहमति का जवाब नहीं दिया गया। जैसा कि रेस्पोडेंट वकील ने बताया है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 131 एल0आर0एक्ट के प्रावधान को पढ़े बिना गलत निर्णय दिया गया है। मात्र कब्जे के आधार पर किसी अन्य खसरा नम्बर में तरमीम शिफ्ट नहीं की जा सकती है। अपीलाधीन निर्णय अस्पष्ट तरीके से दिया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया प्रकरण संख्या 69/2020 बउनवानी मदनलाल बनाम राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एलआरएक्ट धारा 131 निर्णय दिनांक 24.11.2021 को अपास्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:59 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर